फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री नाथू **बनाम** **विपक्षी :– श्री बाबूलाल वगैरह**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का.अ. **पत्रावली संख्या : 55/16**

जीसीएमएस : 2016/00395

कार्यवाही विवरण	विविध

दिनांक : 09.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर एकतरफा बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 24.04.1978 को क्रय की गई परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में विपक्षीगण का नाम दर्ज होने से विपक्षीगण उक्त भूमि को विक्रय करना चाहते है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा स्वयं वाद पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि का क्रय 24.04.1978 को विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता धुलिया उर्फ धुला से किया गया है इस प्रकार 45 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी प्रार्थी द्वारा क्रय के आधार पर नामान्तरकण पारित नही करवाया जाना संदेहास्पद है। प्रार्थी द्वारा क्रय के संबंध में अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्प दस्तावेज की फोटोप्रति पेश की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ग्राम सिन्दु की नकल जमाबंदी सवंत 2070–73 के अनुसार वादग्रस्त भूमि का 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है। विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम उक्त भूमि कब व किस आदेश से दर्ज हुई इस संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है। विपक्षी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से के सहखातेदार है यदि खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उनके खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा जिससे खातेदार को अपूरणीय क्षति होने की संभावना प्रतीत होती है। इस प्रकार अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है। ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध साबित होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:40:16 IST
Reason: SelfAttested